आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई व बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-689/2014-15

31-01-24

सगिया उराँव .....प्रथम पक्ष।

बनाम

(1) इगनीयस तिर्की,
नयन लोयला तिर्की,
नितिन जॉन तिर्की (उत्तराधिकारी)
(2) मरीयानुस मिंज
(3) मसीह लकड़ा .....द्वितीय पक्षगण।

आदेश

आवेदक सगिया उराँव, पति–स्व० महादेव उराँव, निवासी नगड़ा टोली, सरर्कुलर रोड, थाना–लालपुर, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा– 71"A" के अंतर्गत मौजा–लालपुर, थाना–197, खाता नं०–15, प्लॉट नं०–189 रकवा–30 डी० जमीन की वापसी हेतु वाद संधारित किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी उक्त जमीन विपक्षीगण–(1) रोजन्ती मिंज, पिता–स्व० जॉन मिंज, (2) मरियानुस मिंज, पिता–स्व० ज्वाकिम मिंज, (3) मसीह लकड़ा, पिता–स्व० ग्रेगोरी लकड़ा सभी निवासी पता–लालपुर पीस रोड, चर्च लाइन, थाना–लालपुर, जिला–राँची द्वारा छल–प्रपंच कर हड़प लिया है।

जमीन का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा
लालपुर	197	15	189	30 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान में जवरी उराँईन जौजे चरवा उराँव के नाम में दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज हैं। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। आवेदक अपने शपथ पत्र में कहा है कि विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है।

31/1/24

कृ०पृ०उल्टे

आवेदक अपने लिखित ब्यान में कहा है कि वर्णित भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान में जवरी उराँईन के नाम से दर्ज है। जवरी उराँईन अपने पीछे स्व० गहनु उराँव को छोड़ गये। स्व० गहनु उराँव अपने पीछे महादेव उराँव को छोड़ गये। महादेव उराँव अपने पीछे अपनी पत्नी आवेदिका सगिया उराँव को छोड़ गये। आवेदिका खतियानी रैयत के वंशज की पत्नी है एवं प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्षगण द्वारा अवैध रूप से दखल कब्जा कर लिया है।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

विपक्षीगण संख्या–1, रोजन्ती मिंज की मृत्यु हो गई, इनके अधिवक्ता ने दिनांक–28.03.2022 को न्यायालय में आवेदन देकर सूचित किया, इसे स्वीकार करते हुए इनके पति एवं बच्चे इगनीयस तिर्की, नयन लोयला तिर्की एवं नितिन जॉन तिर्की को उत्तराधिकारी बनाया गया। यह कि द्वितीय पक्ष सं०–1 अपने कारणपृच्छा एवं लिखित बहस में कहे है कि मौजा–लालपुर, थाना नं०–197, खाता नं०–15 प्लॉट नं०–189, कुल रकबा–08 कट्ठा जमीन को एकरारनामा कर महादेव उराँव से श्रीमती मरियम मिंज जौजे जॉन मिंज ने 500 रूपया में दिनांक–06.06.1961 में खरीदा है। खरीदने के बाद जमीन पर दखल–कब्जा के साथ 77 वर्षो से दो तल्ला मकान बनाकर रहते चले आ रहे हैं। लेकिन निबंधित पट्टा नहीं होने के कारण मरियम मिंज ने महादेव उराँव पर एक टाईटल सुट वाद सं०–526/1961 की मुंसीफ न्यायालय, राँची में दायर की है। इसके बाद दिनांक–29.08.1961 को मुंसिफ न्यायालय, राँची में मरियम मिंज एवं महादेव उराँव संयुक्त समझौता पत्र पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर से दाखिल किये। इस आधार पर मुंसिफ न्यायालय, राँची ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया एवं डिक्री बना। 1961 में मुंसिफ न्यायालय, राँची के फैसला आने के बाद से वे अपना घर बनाकर दखल–कब्जा के साथ रह रहे हैं और शहर अंचल, राँची में अपने नाम पर मालगुजारी रसीद कटाते आ रहे हैं एवं राँची नगर निगम, राँची में भी होल्डींग टैक्स देते आ रहे हैं। चुँकि यह वाद 77 साल बाद लाया गया है जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 A के अंतर्गत कालबाधित है।

31/1/24

कृ०पृ०उल्टे

अतः कालबाधित होने के कारण प्रथम पक्ष के आवेदन को खारिज किया जाता है।

विपक्षी संख्या–2, मरियानुस मिंज, पिता–स्व० ज्वाकिम मिंज अपने कारण पृच्छा और लिखित बहस में कहा है कि जवरी उराईन खतियानी रैयत के वंशज महादेव से टेरेसा किस्पोटटा ने 1350 रूपया लेकर एक एकरारनामा दिनांक–11.07.1961 को वाके मौजा–लालपुर, खाता सं०–15, प्लॉट नं०–189, कुल रकवा 09 (नौ कट्ठा) जमीन का किया और इसी दिन से द्वितीय पक्ष संख्या 02 जमीन पर दखल करते चलते आ रहे है। और मुसिंफ न्यायलय, राँची में एक टाईटल सुट वाद सं०–1/1963 दायर किया गया, इसमें वादी महादेव उराँव एवं प्रतिवादी टेरेसा किस्पोट्टा को बनाया गया है। इस वाद में दोनों पक्षों के बीच संयुक्त हस्ताक्षर से समझौता पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसी आधार पर केस को निष्पादित कर डिक्री टेरेसा किस्पोट्टा के पक्ष में दिनांक–31.03.1963 को मुंसिफ से फैसला आया। उसके बाद से लगातार द्वितीय पक्ष सं०–02 उपरोक्त जमीन पर घर–मकान बनाकर दखल कब्जा के साथ रहते आ रहे है। टेरेसा किस्पोट्टा की मृत्यु हो गई ये अपने पीछे दो पुत्र मरियानुस मिंज और बीबयान अनिल मिंज को छोड़ गये। इन्होंने शहर अंचल, राँची में अपने नाम पर दाखिल–खारिज कराकर लगातार मालगुजारी 2023–2024 तक दिए है तथा राँची नगर–निगम, राँची में भी अपने नाम पर होल्डींग टैक्स भी अदा करते आ रहे हैं। जिसका होल्डींग टैक्स रसीद नं०–0100000961000A5 है और इस जमीन पर 1963 से अपना घर बनाकर शांतिपूर्वक रह रहे है। जो कि अब तक लगभग 77 साल से दखलकार हैं। अतः यह वाद 77 साल बाद दाखिल किया है, जो की छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा– 71"A" के अन्तर्गत कालबाधित है।

अतः प्रथम पक्ष के वाद को खारिज किया जाता है।

विपक्षी संख्या–3, मसीह लकड़ा एवं अरूण कुमार लकड़ा, दोनो के पिता–स्व० ग्रेगोरी लकड़ा अपने कारणपृच्छा और लिखित बहस में कहा है कि यह जमीन को बर्नाडेट लकड़ा, पत्नी–ग्रैगोरी लकड़ा ने U/S 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार परमीशन लिये हैं, जिसका वाद संख्या–212 R8 II/1970-71 में है। इसकी स्वीकृति LRDC, Ranchi द्वारा दिया गया है।

31/1/24

कृ०पृ०उल्टे

जो वाके मौजा लालपुर, थाना नं०–197, खाता नं०–15, प्लॉट नं०–189, कुल रकबा–15 डीसमिल है। यह कि परमीशन के बाद डीड तैयार किया गया, इस डीड पर महादेव उराँव ने अपना हस्ताक्षर किया, लेकिन निबंधित नहीं किया। निबंधित नहीं होने के कारण ग्रेगोरी लकड़ा ने मसोमात सगिया उराँईन पर एक टाईटल सूट केस किया जिसका वाद सं०–449/2014 व्यवहार न्यायालय, राँची के वरीय कोटि सप्तम, राँची श्री ब्रज किशोर पाण्डेय II में दायर किया गया। इस वाद को दिनांक–15.06.2018 को निष्पादित कर दिया गया।

बर्नाडेट लकड़ा की मृत्यु हो गई ये अपने पीछे पति–ग्रेगोरी लकड़ा एवं दो बेटे मसीह लकड़ा और अरूण लकड़ा छोड़ गई। इसके बाद ये दोनो बेटे जमीन पर घर–मकान बनाकर रहने लगे और राँची नगर निगम, राँची में अपना मालगुजारी देते चले आ रहे हैं। यह वाद प्रथम पक्ष ने लगभग 42 साल बाद द्वितीय पक्ष सं०–03 पर वाद दायर किया गया है। जो कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अन्तर्गत कालबाधित है।

अतः (1) इगनीयस तिर्की, नयन लोयला तिर्की, नितिन जॉन तिर्की (2) मरीयानुस मिंज (3) मसीह लकड़ा तीनों के विरूद्ध कालबाधित होने के कारण प्रथम पक्ष का आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 12:31:03 +05:30
Location: 192.168.51.130